संख्या-47 /2021/1539 ई-2/तेरह-2021-1441265

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उ.प्र. प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग.2 लखनऊः दिनांक-27 अगस्त, 2021

विषयः- मेसर्स फीस्ट एण्ड फिज्जी हास्पिटेलिटी प्रा. लि. द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट, शाप नं. 235, 236, 237, फर्स्ट फ्लोर, गार्डेन्स गैलेरिया माल, सेक्टर-38ए, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी-28/दो-प्रा.एम.बी.(10)/ लघुयवासवनी, दिनांक 10.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10.08.2021 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स फीस्ट एण्ड फिज्जी हास्पिटेलिटी प्रा. लि. द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट, शाप नं. 235, 236, 237, फर्स्ट फ्लोर, गार्डेन्स गैलेरिया माल, सेक्टर-38ए, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर को 240 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 84,000 लीटर वार्षिक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने के लिए माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन प्रदान किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवां संशोधन) नियमावली, 2019 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का इकाई द्वारा अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।